

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2019/00336

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.) 28-10-20

कुरदा राम पिता श्री लालाराम हरिजन बनाम हकीमलाल चित्तौड़गढ़
 210 भीमसर हसनग इन्द्रपुरी मु. अम
 श्रीकृती, रूपाभंगी पत्नी जयलारागोविन्द जार
 कार्यवाही अन्तर्गत 131 अ. राज्य अधिनियम
 किस्म मुकदमा पुरचाना पत्र नं. 316 सन् 2019

उपस्थिति : 1- अंकारलाल कुमलत अधिवक्ता प्राची

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>निर्णय</u> दिनांक 28/10/2020</p>	<p>संख्या व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</p>
	<p>संक्षिप्त विवरण आत्राला इस प्रकार हैं कि प्राची ने बिल्कुल क्विप्ली पुरचाना पत्र अन्तर्गत द्वारा 131 अ. राज्य अधिनियम लागू कराये जाते राज्य रेकार्ड में शुद्ध इस आदेश का प्रस्तुत किया कि प्राची ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07/6/1982 के आरूपम ले फाल्गु पिता शुभा कलई त्रिपाली पुडोली से गत अ. प्रबन्ध की आराजी नम्बर 1465/1 रकबा 2 बीघा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा नये अ. प्रबन्ध के आ. नं. 2204/1 रकबा 0.43 हे. वने हैं, जिलेके पञ्चैल त्तिम्ब हैं -</p> <p>पूर्व : रास्ता मुंगा का खैडा जागे का पश्चिम : खुद की जमीन स्वयं की उत्तर : आराजी नं. 1462/3 दक्षिण : मोडसिंह पिता फूलसिंहजी की जमीन</p> <p>प्राची ने अग्नि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तन्ही ले उपरोक्त पडोंसों के मध्य काबिज हो उपभोग उपभोग किया जा रही है। आ. नं. 2204/1 रकबा 0.43 हे. मूल आ. नं. 2204 की उत्तर दिशा में प्राची काबिज है एवं राज्य कर्मचारीयों द्वारा मूल आ. नं. 2204 के दक्षिण दिशा में आ. नं. 2204/1 जमीन कर दिया जो मोके की स्थिति के अनुसार जालत है। राज्य कर्मचारीयों द्वारा मूल आराजी नं. 2204 का नसखा तैयार करते वस्त मूलवत् प्राची की आ. नं. 2204 रकबा 0.43 हे. को नये</p>	



श्याम सुन्दर बिश्नोई
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)



में दक्षिण दिशा में तरसीम कर दिया गया जो गलत है, प्राची मूल आ.नं. 2204 के उतर दिशा में ओके पर धरिज है, जिससे राजस्व रेकार्ड नम्बरो में दुम्बनी हेतु यह प्राचीना पत्र प्रस्तुत है। अतः प्राचीना पत्र स्वीकार काफ्याया जाकर राजस्व रेकार्ड में नम्बरो में तरसीम में सुई किये जाने का आदेश करमाया जावे।

पुकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विक्सी को जरिए भोटील तलाब किया गया। विक्सी डारा जपाब प्रस्तुत किया गया। वहास प्रकरण उअध पक्ष धुनी गई।

हमारे पत्रधली का अवलोकण कर. प्राचीना पत्र जपाब प्राचीना पत्र एवं प्रस्तुत इस्तोवेजात का अद्यप्रण कर वहास उअध पक्ष पर गम्भीरता से चित्तन मनन किया। प्राची द्वारा ग्राम पुठोली की गत आ. नं. 1465/1 रकबा 2 कीद्या पडौल पूर्व में शाला मुंगा का खेडा जाने का पश्चिम ल्यंघ की जमीन विक्रेता की उतर 1462/3 विक्रेता स्पं की दक्षिण मोडसिंह पिता कुलसिंह की जमीन स्थित भूमि कात्तू पिता रजुमा जी पलाहे कियावी पुठोली से ऊप किया जाना पत्रधली में उपलब्ध विक्रम पत्र रितांक 07-6-82 की हयाया प्रति से प्रमाषित है। उक्त विक्रम पत्र रितांक 07-06-1982 के आच्यार पर तहसीलदार गंगेशर ने अपने प्ररण सरंषा 17/2010 में रितांक 2810/2011 को पारित निर्णय में ग्राम पुठोली की जमाबन्दी संभवतः 2063-66 के खाता संखेला 59 में दर्ज आराजी नं. 2204/1 रकबा 0.43 हे. को प्राची के नाम दर्ज करणे के आदेश दिए। उक्त भूमि वर्तमान में ग्राम चन्देरीया तहसील चित्तोजगढ की नकल जमाबन्दी संभवतः 2067-2070 के अनुनार प्राची के नाम दर्ज रेकार्ड है, जिले प्राची नम्बरो में मूल आ. नं. 2204 के उतर दिशा में तरसीम कराना चाहता है। प्राची ने भूमि अय करते वस्त विक्रम पत्र में ऊप की गई भूमि के जो पडौल अंकित है, वही पडौल प्रस्तुत प्राचीना पत्र में भी अंकित किए हैं। उक्त विवेचाके अनुसार पर प्राची का प्राचीना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार चित्तोजगढ को आदेश दिए जाते हैं।



-----लगातार

(श्याम सुन्दर विशनोई)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तोजगढ (राज.)

कि प्राचीन द्वारा भूमि क़ाय करने सम्बन्धी
 विक्रय पत्र दिनांक 07/6/1982 में भूमि के
 जो पडौस अंकित हैं, उसी अनुष्य प्राचीन की
 क़ाय शुदा भूमि का नक्शे में तरमीम किया
 जावे। निर्णय की प्रति पालगाव्य तहकीलदार
 चित्तौडगढ़ को अर्षित की जावे।

निर्णय लिखवाया जाकर सरे इजलास
 सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौडगढ़ (राज.)

